

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0-वे0आ0) अनुभाग-7
संख्या- / XXVII(7)02/2016
देहरादून: दिनांक: 31 मई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No- /XXVII(7)02/2016
Dehradun: Dated 31 May, 2022

Office Memorandum

विषय: राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक
पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की
संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है,
को महंगाई राहत की स्वीकृति।

Subject: Grant of Dearness Relief of such
civil/family pensioners of the State
Government whose pension is not revised
according with the recommendation of the
7th pay Commissions.

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का
निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी
पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के कम में
पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप
संख्या-329 / XXVII(7)02/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2021
द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए 29
दिसम्बर, 2021 के स्थान पर 203 प्रतिशत के स्थान पर 203
प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री
राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

The Undersigned is directed to say that the
Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates
w.e.f. 01-01-2022 @ 203% instead of 196%
superseding the earlier rates as is sanctioned vide this
Office Memorandum No. 329/XXVII(7)02/2016 Dated
29 December, 2021 for those pensioners whose pension
is not revised according with the recommendation of the
7th pay Commissions.

3. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों,
स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के
सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके
सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत
किया जाना अपेक्षित होगा।

3. These orders will not be applicable to the
judges of High Court, Chairman and Members of
Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family
Pensioners of local bodies and Public Undertaking
Corporation etc. in respect of whom separate orders will
have to be issued by respective department.

4. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग
के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के
ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के
समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू
होंगे।

4. These order will also be applicable to such
teaching and non-teaching pensioners of Institutions
aided from State under the Education/Technical
Education Department whose Pension/Family Pension is
at par with the pensioners of the State Government.

5. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252
/दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत
आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के
लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
अतः स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप
के अधीन कर दिया जाय।

5. As per orders issued in O.M. No-A-1-
252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant
General Authority is not necessary for payment of relief
of pension and as such the payment, of dearness relief as
admissible under, this O.M.

6. महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य
प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में
निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

6. Others terms and conditions regarding of
dearness relief laid down in earlier government orders
shall remain applicable as usual.

(सौजन्या)

(Sowjanya)

सचिव।

Secretary.

संख्या- (1)/XXVII(7)02/2016, तददिनांक।

No. (1)/XXVII(7)02/2016, the dated.

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1. - महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियों इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियों उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. - समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. - प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
4. - समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. - समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. - निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. - निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8. - समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. - उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 50 प्रतियों मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. - निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
1. - Accountant General Ultrakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
2. - All Additional Chief Secretaryies / Principal Secretaryies/Secretaryies, Govt. of Uttarakhand.
3. - Principal Secretary/Secretary, Public Industry Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admisibility of dearness relief may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/sector and there is no need of finance Department Consent.
4. - All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.
5. - All Heads of Departments /Offices, Uttarakhand.
6. - Director, Treasury, Pension and Hukdari, Utatrakhand .
7. - Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand .
8. - All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.
9. - Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 50 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-7, Govt. of Uttarakhand.